



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082021-229038
CG-DL-E-16082021-229038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3069]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2021/श्रावण 25, 1943

No. 3069]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2021/SRAVANA 25, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

सं. 18/2015-2020

विषय: कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3317(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा-3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स के निर्यात से संबंधित आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची-2 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

क्रम सं.	आईटीसी (एचएस) कोड्स	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
207एसी	ई एक्स 3822 ई एक्स 3002	कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स	मुक्त	प्रतिबंधित

2. इस अधिसूचना का प्रभाव: उपर्युक्त विनिर्दिष्ट आईटीसी (एचएस) कोडस अथवा किसी अन्य एच एस कोड के अंतर्गत आने वाली कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत डाला गया है।

[फा. सं. 01/91/110/06/एम-21/ईसी/ई-22863]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2021

No. 18/2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of COVID-19 Rapid Antigen testing kits.

S.O. 3317(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in the Schedule-2 of ITC (HS) Export Policy related to export of COVID-19 Rapid Antigen testing kits.

S.No	ITC HS Codes	Description	Present Policy	Revised Policy
207AC	Ex 3822 Ex 3002	COVID-19 Rapid Antigen testing kits	Free	Restricted

2. Effect of this Notification:

The export of COVID-19 Rapid Antigen testing kits falling under the ITC (HS) Codes specified above or falling under any other HS Code has been put under Restricted category, with immediate effect.

[F. No. 01/91/110/06/AM21/EC/E-22863]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.